संक्षिप्त

सम्मान समारोह आयोजित

कोटपूतली। भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा रविवार को जिला स्तरीय नववर्ष स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोटपूतली से चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेष महासचिव डॉ. अभिलाष मीणा के नेतृत्व में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेषाध्यक्ष डॉ. विकास महला ने कहा की पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिये हमें ब्लॉक व वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने की आवष्यकता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सभी ने जिला कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ में अपनी सक्रिय भागीदारी से संगठन को सशक्त करने का संकल्प दोहराया। समारोह में वरिष्ठ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों का सम्मान किया गया। संचालन भीलवाड़ा चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. फरियाद मोहम्मद ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल जाट, प्रदेश संगठन महासचिव कृष्ण कुमार शर्मा, भीलवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक, पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, कैलाश व्यास समेत अन्य मौजूद रहे।

कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन

दौसा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (उच्च शिक्षा) राजस्थान की स्थानीय इकाई द्वारा सोमवार को राजकीय महाविद्यालय में कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों और युवाओं को अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। विवेकानंद से नेताजी की जयंती के मध्य कर्तव्य का संदेशकार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश संगठन मंत्री प्रो. दीपक शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मध्य इस विशेष दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें केवल अपने अधिकारों को याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। प्रो. शर्मा ने वर्तमान तकनीकी युग की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज मोबाइल फोन के कारण लोग एक ही परिवार में रहते हुए भी एक-दूसरे से दूर हो गए हैं।

भाजपा के प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया

दौसा। भाजपा के प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नए स्वरूप और नामकरण को लेकर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

भाजपा के प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण

■ मनरेगा का नाम बदला है, बंद नहीं हुआ, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने कांग्रेस के भ्रम पर किया प्रहार

कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस को राम जी के नाम से ही करंट लगता है, इसलिए वह जनता के बीच भ्रम फैला रही है कि योजना बंद हो गई है। 125 दिन के रोजगार की गारंटी नए कानून रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम 2025 की खूबियां बताते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कहा कि कार्य दिवसों में वृद्धि की गई है। अब सालाना रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। स्थायी संपत्ति का निर्माण कराया जावेगा। अब गांवों में केवल मिट्टी खोदने के बजाय ठोस और टिकाऊ काम होंगे, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उन्होने कहा कि नए स्वरूप में भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड जैसी समस्याओं पर लगाम कसी जाएगी।

पहले यह योजना भ्रष्टाचार, कुशासन और खराब संपत्ति सृजन का पर्याय बन गई थी। उन्होंने कहा कि पुराने मॉडल का दीर्घकालिक प्रभाव न्यूनतम था, जबकि वीबी जीरामजी मिशन से ग्रामीण रोजगार की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरितवाल, जिला संयोजक हरकेश मटलाना, सहसंयोजक अभिषेक शर्मा, विजय बैरवा, जिला महामंत्री विपिन जैन, मंजू लता जाटव, सरोज मीणा, सोमेश विजय, राजेश तिवारी, हरिओम हरसाना, राजेंद्र छीपा और किशोरी लाल बैरवा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा के प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

तहसीलदार को कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

शाहपुरा । जय फुले माली विकास जन सेवा समिति शाहपुरा के तत्वावधान में सोमवार को शाहपुरा तहसीलदार को माली, सैनी, कुशवाह, मौर्य, सुमन आदि समाज को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के संबंध में मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सैनी समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि माली, सैनी, कुशवाह, मौर्य, सुमन आदि समाज को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। समाज द्वारा कई बार ज्ञापन, रैली एवं धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया है।मांगों के समाधान हेतु समाज द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है। इसी क्रम में समाज द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि 25 फरवरी 2026 तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो विवश होकर राज्य में जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। समाज की मुख्य मांगें निम्न प्रकार है। माली-सैनी-कुशवाहा, मौर्य, सुमन समाज को अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

जर्जर विद्यालयों के नाम पर मर्ज किये जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा

दौसा। दौसा विधायक डीसी बैरवा के नेतृत्व में सोमवार को सैकडो ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौपकर जर्जर भवन के नाम दूसरे विद्यालयो मर्ज किये गये विद्यालयो को पुनः उसी भवन में संचालित किये जाने की मांग की।

विधायक डीसी बैरवा ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के 29 दिसंबर 2025 के पत्र के आधार पर दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुल 23 विद्यालयों को जर्जर, कण्डम घोषित कर नजदीकी विद्यालयों में मर्ज किया गया है। इनमें मित्रपुरा, पण्डा मोहल्ला दौसा, मोहनपुरा, हरपट्टी, किशोरपुरा प्यारीवास, जीरोताकलां, देलाड़ी, झेरा, बाढ़ किशनपुरा, मुसोलाई, आनंदपुरा, बालाजी बनियाना, व्यास मोहल्ला दौसा, मोड़ा, मालगवास, रामसागर, ईटारड़ा, डाबरा की ढाणी, कानपुरा, रानीवास, ढाणी खेड़ा, दुबल्या जगरामपुरा एवं रामपुरा खुर्द सहित कई

■ विधायक डी.सी. बैरवा के नेतृत्व में सैकडों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

गांवों के विद्यालय शामिल हैं। उन्होने बताया कि जिन विद्यालयों मर्ज किया गया है, उनकी दूरी 2 से 5 किलोमीटर तक है। कई स्थानों पर बच्चों को विद्यालय जाने के लिए रेलवे लाइन अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पार करना पड़ता है, जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही जिन विद्यालयों में मर्ज किया गया है, वहां पहले से ही बैठने की व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होने आरोप लगाया कि जर्जर भवनों को लेकर किया गया सर्वे सही एवं वस्तुनिष्ठ नहीं है। कई गांवों में विद्यालय भवन के लिए भूमि पहले से ही उपलब्ध एवं सुनिश्चित है, जिसके संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर दौसा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। विधायक डी.सी. बैरवा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सभी मर्ज किए गए विद्यालयों को यथास्थान पर ही संचालित रखा जाए तथा बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नए अथवा सुरक्षित भवनों का शीघ्र निर्माण कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मर्ज के बहाने विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी एवं ग्रामीणों द्वारा बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष रेनू कटारिया, नगर अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, विजेंद्र डोई, अशोक डागोलाई, मानसिंह मीणा, मोनू पचवारा, रोहिताश बंसीवाल, नरेश जोनवाल, कोरीलाल मीणा, राजेश, अमन सेन, माधवसिंह, शाहरुख खान, कंवरपाल गुर्जर, वरिष्ठ नेता शिवचरण गुर्जर, शकीरा फारुकी, मोहित सामरिया, किरण दत्त शर्मा, गोपाल सिंह, करणसिंह, रविंद्र जारवाल, जिला प्रवक्ता मुकेश राणा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वाणी प्रदूषित मुक्ति संस्थान का वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न

भरतपुर। वाणी प्रदूषण मुक्ति संस्थान का 36वां वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता काका रघुराज सिंह ने की, मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पंडित रामकिशन थे। उन्होंने कहा कि आज का युग उलझनों का युग है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, उग्रवाद एवं वाणी का प्रदूषण भरतपूर है, अध्यक्षयीय उद्बोधन देते हुए काका रघुराज सिंह ने कहा कि राजनीति में वाणी प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है। नेताओं को वाणी का संयम रखना चाहिये।

सभी वाद विवादों को छोड़कर आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिये। डा. प्रदीप डागुर ने कहा कि आज 90 प्रतिशत लोग असामान्य मनोवृति में जी रहे हैं, या तो सुपीरियर और या इन्फीरियर मानसिकता से पीड़ित हैं। संतुलित मानसिकता से शरीर के 60 प्रतिशत रोग समाप्त होते हैं। डा. मौहकम सिंह योगाचार्य ने सहज योग पर बोलते हुए मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सातों चक्रों की व्याख्या करते हुए कुण्डलनी जाग्रति के आयाम बताये व योग कराया। डा. दिनेश उपाध्याय ने ऋतु आधारित, खट्टा, मीठा लवण, तीखा एवं कड़वे आहारों को संतुलित रूप में लेने की सलाह दी। इस अवसर पर साहित्यकार उमाशंकर वशिष्ठ को साहित्य के क्षेत्र में अरविंद कुमार कुरका को रक्तदान के क्षेत्र में एवं लक्ष्मीनारायन गुप्ता पूर्व मुन्सरिम को समाज सेवा के क्षेत्र में अभिनन्दन किया।

वाणी प्रदूषण मुक्ति संस्थान का 36वां वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

भरतपुर। जिला कलक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जारी किया जाने वाला यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड एक विशेष पहचान पत्र इसके माध्यम से ही दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ ले पाते है। उन्होंने चिकित्सीय बोर्ड के स्तर पर लम्बित सभी आवेदनों को 31 जनवरी तक निस्तारित करने के लिए कैम्प मोड पर कार्य करने करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक आरबीएम के स्तर पर पोर्टल पर लम्बित सभी आवेदनों को चिन्हित कर आवेदकों को सूचित करते हुए आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाये पात्रजनों का कार्ड जारी करें अपात्रों को निरस्त करें।

यह सिर्फ कांग्रेस नहीं, आम मतदाता के अधिकारों की लड़ाई : इंद्राज गुर्जर

पावटा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश के तहत हजारों की संख्या में फ़ार्म नंबर-7 अवैध रूप से उपखंड कार्यालय में जमा कराए गए, वहीं पर गलत व दबावपूर्ण तरीकों से नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इन गंभीर आरोपों के विरोध में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के तहत विराटनगर उपखंड कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया व विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सोपा। प्रदर्शन में पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आम मतदाता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि हर उस मतदाता की है, जिसके अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। एसआईआर के नाम पर चुनिंदा मतदाताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हजारों फ़ार्म नंबर-7 एक साथ जमा होना खुद इस साजिश की ओर इशारा करता है।

कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के तहत विराटनगर उपखंड कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया ।

■ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप, विराटनगर उपखंड कार्यालय का घेराव व धरना

उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस हर कुर्बानी देने को तैयार है। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन माहौल पूरी तरह राजनीतिक रूप से गर्म नजर आया। स्थानीय लोगों ने भी मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

आम सूचना दिनांक 19/1/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य गणेश नारायण जागिड पुत्र चौथमल जागिड निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास, जिरोता, तहसील सांगानेर द्वारा कपूर चन्द पुत्र कल्याण सहाय व रेखा देवी पत्नी गोपाल लाल निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास, जिरोता, तहसील सांगानेर के स्वामित्व व आधिपत्य का आबादी भूमि का पट्टेशुदा भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफ 833.33 वर्गगज है जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में छीतर मीणा का खेत, पश्चिम में रास्ता व सार्वजनिक चौक 20 फीट, उत्तर में सीताराम, भीरीलाल तथा दक्षिण में 6 फीट गली छोड़कर ग्यारसीलाल व रामकल्याण का मकान स्थित है।जिसे मेरे अभिभाष्य द्वारा क्रय किया जा रहा है।किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन इत्यादि को उक्त सौदे बाबत् कोई आपत्ति हो तो आगामी 7 दिवस में मेरे अभिभाष्य या हयोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित आपत्ति दर्ज करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद उक्त सौदे बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन इत्यादि की कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा। सूचित रहे।

कैलाश शर्मा (एडवोकेट) मो. 9460334120
57, शिव कॉलोनी, दादा गुरूदेव नगर, सांगानेर, जयपुर

खोया पाया

प्लॉट नं. बी-28 अरावली सिटी-।। कालवाड के मूल रजिस्ट्री एवं चेन डॉक्युमेन्टस कहीं खो गए है। जिसकी एफ.आई.आर LR NO: 3026255/2026 पर दर्ज है। कृपया मिलने पर सूचित करें। मीनू देवी पुत्री उषा पोटी 29-ए जगदंबा कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती ग्यारसी देवी** धर्मपत्नी स्व. श्री कजोडमल माली (सिंगोदिया) का स्वर्गवास दिनांक 18.01.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 20.01.2026 को दोपहर 3 से 4 बजे तक निवास स्थान चरणनदी नहर की ढाणी (पवनपुरी,ई) बैनाड रोड झोटवाडा पर होगी।

शोकाकुल- बाबूलाल सैनी (कम्पाउण्डर), प्रकाश चन्द, रमेश चन्द, अशोक कुमार, मामराज, राजेन्द्र, महेन्द्र, बालकिशन (पुत्र), डॉ. घनश्याम, कौशल, चेतन, तनुराज (पौत्र) प्रथम सैनी (दोहिता) समस्त सिंगोदिया परिवार

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना

मूलतः आवास संख्या 1/483, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि श्री गुरु चरण पुत्र श्री बुद्ध प्रसाद को आवंटन पत्रांक 802 दिनांक 17.05.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके बेचान उपरांत मण्डल द्वारा आवास का नियमीतिकरण एवं अंदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 5622 दिनांक 13.11.2013 को श्रीमती लीलावती पत्नी श्री पूरण चन्द खत्री के नाम जारी कर दिया गया। श्रीमती लीलावती द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 24.01.2014 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है श्रीमती लीलावती द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.01.2014 को श्री दिनेशचन्द गुप्ता पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता के नाम कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का लीज हस्तांतरण पत्रांक 1210 दिनांक 02.07.2015 को श्री दिनेशचन्द गुप्ता पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता के नाम जारी कर दिया गया था। श्री दिनेश चन्द गुप्ता द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2015 को श्री नितिन गुप्ता एवं त्रिलोक चन्द गुप्ता पुत्रान श्री हरिओम गुप्ता को संयुक्त रूप मे कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का लीज हस्तांतरण पत्रांक 1950 दिनांक 11.09.2015 को श्री नितिन गुप्ता एवं त्रिलोक चन्द गुप्ता पुत्रान श्री हरिओम गुप्ता के नाम संयुक्त रूप से जारी कर दिया गया था। श्री नितिन गुप्ता एवं त्रिलोक चन्द गुप्ता द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 10.10.2025 को श्रीमती अंजनी देवी पत्नी श्री मोहन खटीक को कर दिया गया। श्रीमती अंजली देवी द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमनुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/483 एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती अंजली देवी पत्नी श्री मोहन खटीक के पक्ष मे आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक फ्लैट नम्बर 203, फर्स्ट फ्लोर, धूप-छाँव अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर सी-79, यश पथ, मोती डूंगरी स्कीम (तिलक नगर), जयपुर, राजस्थान में स्थित है. उक्त वर्णित सम्पूर्ण फ्लैट नम्बर 203, फर्स्ट फ्लोर, धूप-छाँव अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर सी-79, यश पथ, मोती डूंगरी स्कीम (तिलक नगर), जयपुर, राजस्थान को श्री चन्द्र कुमार सरावगी ने जरिये विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 22.10.1997 जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, जयपुर (प्रथम) में दिनांक 31.12.1997 ईस्वी को हुआ है के द्वारा मैसर्स कल्पतरू होम्स से खरीद किया था। यह कि श्री चन्द्र कुमार सरावगी का दिनांक 12.04.2012 को स्वर्गवास हो चुका है तथा श्री चन्द्र कुमार सरावगी के स्वर्गवास के पश्चात् श्रीमती राजश्री सरावगी धर्मपत्नि स्व. श्री चन्द्र कुमार सरावगी ने हक त्याग पत्र लिखा हुआ दिनांक 16.12.2025 उक्त वर्णित सम्पूर्ण फ्लैट नम्बर 203 में निहित अपना सम्पूर्ण अविभाजित हिस्सा चारू सरावगी पुत्री स्वर्गीय श्री चन्द्र कुमार सरावगी के हक में त्याग कर दिया है। यह कि सुरभि शर्मा उक्त फ्लैट नम्बर 203 को चारू सरावगी से खरीद करना चाहती हैं तथा उक्त फ्लैट की खरीद हेतु सुरभि शर्मा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ऋण हेतु आवेदन भी किया है, यदि उक्त फ्लैट के विक्रय/हस्तांतरण इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मुझे सूचित करें, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जावेगी तथा उक्त फ्लैट के विक्रय पत्र का विधिवत् पंजीयन करा दिया जायेगा।

दिनांक: 19.01.2026 **SHASHANK TIKKIWAL, Advocate**
स्थान: जयपुर Resi:-11/1329, Malviya Nagar, Jaipur Mo. No.: 9166400777

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि प्लॉट नं. 724, महावीर नगर, टोंक रोड़, जयपुर सम्पत्ति के मालिक श्री तीर्थ दास आड़वाणी निवासी- 724, महावीर नगर, टोंक रोड़, जयपुर ने उक्त प्लॉट के समस्त असल दस्तावेज **Axis Bank Ltd., Jaipur** में रहन कर ऋण **(Loan A/c No. PHR001002580955)** प्राप्त किया गया था। तत्पश्चात् श्री तीर्थ दास का स्वर्गवास दिनांक 16/11/2025 को हो गया। श्री तीर्थ दास के स्वर्गवास पश्चात् उनके वारिस / उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला आड़वाणी, पुत्र श्री योगेश आड़वानी, पुत्रवधू श्रीमती रितु आड़वानी एवं पुत्री दिव्या रूपानी ने उक्त बकाया ऋण का भुगतान कर उक्त प्लॉट / सम्पत्ति के असल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु उक्त बैंक में आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति के बाबत् एवं स्व. श्री तीर्थ दास आड़वाणी के कानूनी वारिस / उत्तराधिकारी की हैसियत से किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति हो तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता या **Axis Bank Ltd., Address : C-Scheme, Jaipur** के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत करे, अन्यथा उसके पश्चात् उक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेज उपरोक्त वर्णित कानूनी वारिसों को सौंप दिये जायेंगे **(स्वप्नलिल सिंह कुशावहा एडवोकेट)**
पता : फ्लेट नम्बर 103, 3rd फ्लोर, प्लाट नं. डी-136, सावित्री पथ, बापू नगर
दिनांक : 19.01.2026 जयपुर, फोन नं. 8107712548

सार्वजनिक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक:जविप्रा/उपा, जोन-8/2026 / डी- 2095 दिनांक:- 19.01.2026
आवेदक छीतर, बाबूलाल, बृजेश एवं रामेश्वरी देवी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान की 60 मीटर सैक्टर सड़क (अजमेर रोड से टूटी पुलिया डिग्गी रोड) में आ रही राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई के खसरा नंबर 57 / 372 रकबा 0.06 हेक्टर में से 473.33 वर्गमीटर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.01 हेक्टर, मे से 100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हेक्टर, मे से 577.33 वर्गमीटर भूमि के एवज में 25 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्व जमाबंदी अनुसार ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई के खसरा नंबर 57/372 रकबा 0.06 हेक्टर. खसरा नंबर 58 रकबा 0.01 हेक्टर. भूमि छीतर बाबूलाल पि. छोटू हिस्सा 1/3 बृजेश पुत्र हनुमान सहाय रामेश्वरी देवी पत्नी हनुमान सहाय हिस्सा 1/6 के नाम दर्ज है ।अतः हितधारियों/संबंधितजनों को जरिये सार्वजनिक सूचना सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो जविप्रा में उपायुक्त जोन-8 कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
उपायुक्त जोन-08. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

नाम परिवर्तन

मेरी भूमि की जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में नाम कमला देवी पत्नि रामलाल उर्फ रामु दर्ज है सही नाम कपली देवी पत्नी श्री रामलाल मीणा है भविष्य में इसी नाम से जाना जावें। निवासी पलावली की ढाणी, मकसूदनपुरा, बाडा पदमपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

मैं राधेश्याम सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह राव पता गाँव देवपुरा, टनकारदा, तनकारदा, जयपुर राजस्थान-303702 है। मैंने मेरा नाम राधेश्याम सिंह राव रख लिया है। पहले मेरा नाम राधेश्याम सिंह था भविष्य में मुझे राधेश्याम सिंह राव पुत्र श्री हरनाथ सिंह राव के नाम से जाना जाए।

मैं शंकर लाल सैनी ये घोषित करता हूँ कि मेरे स्व. पिता जी का नाम PNBmetlife की पॉलीसी में MOHRURAM MALI है एवं इनके आधार व पेन में इनका नाम MOHARU RAM MALI है। एवं दादाजी का नाम BIJYA LAL MALI की जगह VIJYA LAL MALI है दोनों व्यक्ति एक है। एवं मेरे माता जी का नाम इस POLICY में DEVI DEVI है इनका नाम BHURI DEVI है।

I Azhar Uddin S/o Hakimuddin plot No. 3495/6 Mithi Kothi Surajpole Jaipur Have Changed Name Azharuddin to Azhar Uddin

I have changed my name from Archana to Archana Parasrampuria for all purpose. R/o 10/27 vidhyadhar nagar Jaipur (Raj.)

I have changed my name from Anup Kumar Bajla to Anup Bajla for all purpose. R/o B-302 Agrasen Apartment sector-2 Vidhyadhar nagar, Jaipur (Raj.)

I have changed my name from Heera Lal bardia to Heeralal bardiya r/o 556 sindhi colony raja park, jawahar Nagar, Jaipur

आम सूचना

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मैं चन्द्र प्रकाश तिवारी पुत्र श्री सुशील चन्द्र तिवारी, उम्र 60 वर्ष, निवासी- प्लाट नम्बर- बी-27, 10-बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मे अपने परिवार के साथ निवास कर रहा हूँ। मेरा पुत्र अभिनव तिवारी एवम् मेरी पुत्र वधू श्रीमती आरती आये दिन मेरे व मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते है, गाली-गलौच करते है तथा मुझे व मेरी पत्नी को अपमानित करते है तथा शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित करते है तथा मेरा उक्त पुत्र व वधु मेरी पत्नी के साथ मार-पीट करते है। मेरे स्वामित्व के उक्त मकान को बेच कर उसमे हिस्से की नाजायज मांग करती है जिसमे मेरे उक्त पुत्र द्वारा उसका सहयोग किया जाता है। मेरी पुत्र वधु आरती की नाजायज मांग को ना मानने पर मुझे, मेरी पत्नी व दूसरे पुत्र राथव को विभिन्न झूठे प्रकरणो मे फंसाने की धमकी देती है। वर्तमान मे मेरा उक्त पुत्र व पुत्र वधु मेरे उक्त मकान मे पूर्व मुखी एक कमरे मे अपनी शादी के अगले दिन अर्थात् दिनांक-01.02.2024 से बतौर लाईसेन्सी निवास कर रहे है। मेरे उक्त पुत्र व पुत्र वधु के उक्त आचरण के कारण मै अपने उक्त पुत्र व पुत्र वधु को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। एवं भविष्य में कोई भी बेंक, व्यक्ति, संस्था आदि यदि उससे कार्य, संव्यहकार, लेन-देन आदि करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, अतः सूचित रहे ।

निवेदक-
चन्द्र प्रकाश तिवारी मो.9261631668

सार्वजनिक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2026 / डी- 2094 दिनांक:- 19.01.2026
आवेदक गोपाल लाल पुत्र छीतर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान की 60 मीटर सैक्टर सड़क (मुहाना मोड से सीतापुरा आरओबी टॉक रोड) में आ रही राजस्व ग्राम बम्बाला के खसरा नंबर 923 रकबा 0.25 हेक्ट मे से 2118.57 वर्गमीटर खसरा नंबर 930/1161 रकबा 0.04 हेक्ट, मे से 400 वर्गमीटर खसरा नंबर 924 रकबा 0.08 हेक्ट मे से 57.04 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हेक्ट, मे से 2575.61 वर्गमीटर भूमि के एवज में 25 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार